राज्य बीज निगम, राज्य कृषि विभाग, सहकारी समितियां, अन्य संस्थागत अधिकरण तथा निजी बीज उत्पादक/विक्रेता राष्ट्रीय बीज निगम देश में बीज उत्पादक/वितरण करने वाले अधिकरणों में से एक है। देश में राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा बीज वितरण प्रणाली को हाथ में लेने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं होता।

वनस्पति उद्योगों को आयातित तेल आवंटित करने के मानदण्ड

2105. **श्री नगीना राय :** क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वनस्पति निर्माताओं को आयातित तेल के आवंटन और सप्लाई के लिए कोई मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं;

(ख) क्या पुराने और नये दोनों प्रकार के निर्माताओं को आयातित तेल की सप्लाई करने के लिए वही मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं और क्या ये मानदण्ड पिछले वर्ष के उत्पादन पर आधारित हैं और क्या इसके परिणाम स्वरूप नये एकक बन्द होने की स्थिति में हैं;

(ग) क्या उक्त मानदण्ड में एककों को उत्पादन क्षमता और अधिष्ठापित क्षमता पर ध्यान नहीं दिया गया है;

(घ) देश में प्रत्येक वनस्पति एकक को उत्पादन क्षमता और स्थापित क्षमता कितनी-कितनी है और उनमें से प्रत्येक को आयातित तेल कितनी मात्रा में सप्लाई किया गया है;

(ङ) क्या सरकार का विचार नये एककों को उनकी उत्पादन क्षमता पर आधारित नये मानदण्डों के आधार पर आयातित तेल सप्लाई करने का है; और

(च) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मन्त्री (डा. एम. एस. संजीवी राव) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) आयातित तेलों का आवंटन, विगत तेल वर्ष के दौरान हुए वनस्पति के औसत उत्पादन के आधार पर किया जा रहा है। तथापि, नए एककों को तेल इन एककों की संस्थापित क्षमता पर आधारित उतने उत्पादन स्तर के लिए दिया जा रहा है जिस पर वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हों।

(घ) एक विवरण सभा पटल पर रखा है।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या LT-8546]

(ङ) और (च) जी हां। नये एककों को अधिक मात्रा आवंटित की जा रही है, ताकि वे क्षमता का बेहतर उपयोग कर सकें।

Assistance to Coastal States for Development of Pisciculture During Sixth Plan

2106. SHRI CHINTAMANI PANIGRAHI : Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state ;

(a) whether Central assistance has been given to the States during the Sixth Plan for the development of Spisciculture :

(b) if so, the amount of Central assistance given to Orissa and other coastal States for the purpose during the above Plan period ; and

(c) the steps taken for the development of pisciculture in Orissa during the plan period ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI YOGENDRA MAKWANA) : (a) : Yes, Sir.

(b) A statement is enclosed.

(c) In Orissa 11 Fish Farmers' Development Agencies have been sanctioned for development of pisciculture. The Fish Farmers Development Agencies perform the following function for development of pisciculture ;

(i) long term lease of tanks and ponds ;

(ii) traihing of fish farmers ;

(iii) subsidy on reclamation of tanks and ponds and for inputs in the first year ;

(iv) assistance in the preparation of projects to facilitate institutional finance ;

(v) technical and extension support to fish farmers on continuing basis ;

(vi) demonstration of high yielding technology ; and

(vii) massive expansion in the production and distribution of quality fish seed.

Statement

Central Assistance for pisciculture given to Orissa and other Coastal States during Sixth Five Year Plan

(Rs. in lakhs)

S. No.	Name of the State	Grant	Loan	Total Amount
1.	Andhra Pradesh	3.60	21.55	25.15
2.	Gujarat	12.29	32.95	45.24
3.	Karnataka	4.68	17.98	22.66
4.	Kerala	7.89	44.31	52.20
5.	Maharashtra	9.24	27.34	36.58
6.	Orissa	52.82	3.55	56.37
7.	Tamil Nadu	10.02	24.91	34.93
8.	West Bengal	116.05	—	116.05
	Total :	216.59	172.59	389.18